कार्यालय जलाधिकारी, गोण्डा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 3274 / खनन अनुभाग / 2024 दिनांक :- 26 जून 2024

अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू के निस्तारण लिए ई-निविदा आमंत्रण हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ० ए०नं0-462 / 2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य मे पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023, 21.12.2023 व 02.04.2024 के अनुपालन में ग्राम-परसापुर, तहसील तरबगंज के गाटा संख्या-1374 / 4.011हे0 पर अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू 4464 घनमीटर व ग्राम-नवाबगंज गिर्द, तहसील तरबगंज-गोण्डा के गाटा संख्या-129 / 1.1606हे0 मे अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू 9397.50 घनमीटर की विकी सार्वजनिक नीलामी के जरिये प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार दिनांक 01.07.2024 से 08.07.2024 की सायं काल 5:00 बजे तक उक्त अवैध रूप से भण्डारित बालू का हटाये जाने हेतु WWW.etender.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा अगले दिन दिनांक 09-07-2024 को समय 1.00बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।

अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू की सार्वजनिक नीलामी की शर्ते व विवरण निम्नवत् है-

क0 सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं0 / रकबा	उप खनिज का नाम	एकत्रित बालू की मात्रा घनमीटर मे	साधारण बालू का न्यूनतम दर प्रति घनमीटर में (रू0 में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रूपये में	आरक्षित मूल्य का 50 प्रति0 अर्नेस्ट मनी रूपये मे
1	तरबगंज	परसापुर,	1374 / 4.011हे0	साधारण बालू	4464	463.00	20,66,832.00	10,33,416.00
2	तरबगंज	नवाबगंज गिर्द	129 / 1.1606हे0	साधारण बालू	9337.50	463.00	43,23,262.00	21,61,631.00

1 कोई व्यक्ति / फर्म / निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगीः-

(क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञप्ति किया गया हो

(ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक

(ग) निविदाकार का नाम व पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर

(घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो-
उपखनिज का नाम-
तहसील का नाम-
भण्डारित स्थल का नाम / ग्राम-

(ड) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता स्थाई और वर्तमान, ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में कोई एक मान्य होगा-ओटर आई०डी० / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली बिल / बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म / कम्पनी / निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण)

(च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए वाली तर,जो खनिज के लिए नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।

(छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमायनी 1963 की अनुसूची-1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

(ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र

(च) खनिज के प्रति घनमीटर के लिए वाली तर,जो खनिज के लिए नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगा।

(छ) एकत्रित किये गये बालू की मात्रा (घनमीटर) को नियमायनी 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी उसका 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

(ज) खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र

(झ) उस जिले के जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र जहां वह स्थाई रूप से निवास करता है। (ट) पैन कार्ड एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र।

2– ई–निविदा आमंत्रण सूचना दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 08.07.2024 को सायं 5.00 बजे तक ई–टेण्डर पोर्टल WWW.etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जा सकेगी।

3– विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस अर्थात दिनांक 09.07.2024 को अपरान्ह 1.00 बजे अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ई–टेण्डर समिति के सदस्यों द्वारा खोला जायेगा।

4– बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित वांछित अभिलेख तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–1 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक 09.07.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय (खनन अनुभाग) गोण्डा में जमा करना होगा तथा बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

5– क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डारित बालू हटाने सम्बन्धी सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा।

6– जिलाधिकारी को बिना कोई कारण बताये समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

7– भण्डारण स्थल अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

8– क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त निविदा समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। सहमति प.त्र निर्गत होने के दो दिवस के अन्दर अवशेष सभी धनराशि जमा करना होगा। अन्यथा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी, जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी।

9– निविदाकार को बालू भण्डारण स्थल से मुख्य मार्ग तक की व्यवस्था/निर्माण स्वंय के व्यय पर करना होगा। किसी तृतीय पक्ष के विवाद की स्थिति में राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।

10– ई–निविदा में दी गयी दर को गुणाकर वास्तविक धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम रूप में जमा 50 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि आदेश निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा गुणवत्ता एवं भण्डारित स्थल के लिए पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर निविदाकर्ता स्वंय आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12– मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।

13– नियमावली 2021 की अनुसूची–1 में उपखनिज (साधारण बालू) की वर्तमान में प्रचलित बाजारू दर रूपये 390/– घनमीटर है।

14– निविदाकर्ता के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र से बालू हटाने/परिवहन से यदि किसी तीसरे पक्ष को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी होगा।

15– भण्डारण स्थल पर बालू जहां भी है जिस अवस्था में है उसका सत्यापन स्वंय आवेदक करेगा। टेण्डर स्वीकृत होने के बाद प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

16– निर्धारित अवधि में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 09.07.2024 को अपरान्ह 1.00 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में गठित समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।

17– सफल निविदादाता को देय निविदा धनराशि पर 2 प्रतिशत टी०सी०एस०, 10 प्रतिशत जिला खनिज न्यास निधि (डी०एम०एफ) देय होगी।

18– निविदा से प्राप्त धनराशि का अंतरण ओ० ए०नं0–462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(नेहा शर्मा)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 प्रमुख सचिव, भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को मय सी०डी० सहित दो दैनिकसमाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
4. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी खनन गोण्डा।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या भूतत्त्व एवं खनिकर्म।
6. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद गोण्डा को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।
7. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट गोण्डा को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।
8. सम्बन्धित समिति के सदस्यों व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गोण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म डी०एस०सी० मैपिंग कराते हुए ई–टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
9. उप निदेशक सूचना जनसम्पर्क विभाग–गोण्डा।

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

Signature Not Verified
Digitally signed by ABHAY KUMAR RANJAN
Date: 2024.06.29 19:10:34 IST
Location: Uttar Pradesh-UP